'प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्पलीमेंटेशन बोर्ड द्वारा विचारित विभिन्न नीतिगत एवं अन्य प्रस्ताव, जिनसे प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित हुआ (बैठक दि. 09.05.2006 से 30.11.2008)

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
बैठक क्र. 1, दिनांक 09.05.2006					
1.	ट्राइफेक	'प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्पलीमेंटेशन बोर्ड' के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देशों का निर्धारण	बोर्ड द्वारा निवेश प्रस्तावों के क्लियरेंस हेतु प्रक्रिया का सुचारू क्रियान्वयन हेतु निर्देश प्रदत्त किये गये।	ट्राइफेक	
बैठक क्र. 2, दिनांक 01.06.2006					
2.	पर्यटन विभाग	फतेहगढ़ स्थित पुरातत्वीय महत्व के भवन को हेरीटेज़ के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्ताव।	बोर्ड ने चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं गैस राहत विभाग को उल्लेखित पुरात्तवीय एवं हेरीटेज भवनों को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। पर्यटन विभाग निविदाओं के माध्यम से हेरीटेज होटल का अनुभव रखने वाली कम्पनियों को लीज़ पर आवंटित कर सकेगा	पर्यटन विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं गैस राहत विभाग	
3.	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र इंदौर हेतु विभिन्न विभागों से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने बाबत्	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग एजेण्डा में उल्लेखित अनुसार अधिसूचनाएं जारी करे।	संबंधित विभाग	
बैठक क्र. 3, दिनांक 05.07.2006					

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
4.	पर्यटन विभाग	हेरीटेज पर्यटन नीति	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि हेरीटेज पय्रटन नीति के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग/ आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग आवश्यक निर्देश /अधिसूचनाएं जारी करे।	पर्यटन विभाग	
बैठक क्र. 4, दिनांक 22.08.2006					
5.	ट्राइफेक	फिल्म सिटी की स्थापना	बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रदेश में भोपाल के समीप फिल्म सिटी की सीापना हेतु भूमि का चयन किया जावे एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से फिल्म सिटी विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जावे।	एम.पी. एस.आई. डी.सी	
6.	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकस निगम, इंदौर	इंदौर विकास योजना 2021 (प्रारूप) में ग्राम रंगवासा की भूमि के प्रयोजन संबंधी	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इंदौर विकास योजना 2021 (प्रारूप) में आपत्ति के संबंध में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर नियमानुसार संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करे।	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकस निगम, इंदौर	
बैठक क्र. 5, दिनांक 23.09.2006					
7.	खाद्य प्रसंस्करण विभाग	मध्यप्रदेश की वायनरी (अंगूर प्रसंस्करण से) नीति के संबंध में प्रस्ताव	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अंगूर की खेती हो बढावा देने एवं मूल्य संवर्धन को दृष्टिगत रखकर प्रदेश हेतु वायनरी नीति तैयार की जावे।	खाद्य प्रसंस्करण विभाग	
बैठक क्र. 6, दिनांक 03.10.2006					

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
8.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	आई.टी./आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस –एस.ई.जेड. की अनुशंसा हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बंध में।	निर्णय लिया गया कि आई.टी./आई.टी.ई.एस. एस.ई.जेड. के प्रस्तावों हेतु नोडल एजेंसी के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यथावत् कार्य करेगा।	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	
9.	एम.पी. एस.आई. डी.सी.	प्रदेश में प्राप्त हुए निजी निवेश प्रस्तावों हेतु भूमि आवंटन/अधिग्रहण हेतु त्वरित निर्णय लेने बाबत्।	निर्णय लिया गया कि प्रदेश में औद्योगिक/ अन्य निवेश प्रस्तावों हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण करने के लिये अन्य राज्यों द्वारा इस सम्बंध में तैयार की गई नीति का अध्ययन कर मध्यप्रदेश राज्य हेतु पृथक नीति बनाई जावे। प्रबंध संचलाक, एम.पी. एस.आई.डी.सी इस प्रयोजन हेतु नीति का प्रारूप तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।	एम.पी. एस.आई. डी.सी.	
10.	एम.पी. एस.आई. डी.सी	मध्यप्रदेश एक्ट क्र. 23 (2003), द इन्दौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2003 के सम्पूर्ण प्रदेश हेतु विस्तार बाबत्।	निर्णय लिया गया कि एस.ई.जेड. हेतु केन्द्र शासन द्वारा लागू किये गये एस.ई.जेड. एक्ट 2005 का अध्ययन कर यह निर्धारित कर लिया जावे कि केन्द्र शासन के एक्ट (2005) के पश्चात भी प्रदेश में स्थापित होने वाले एस.ई.जेड. हेतु अन्य एक्ट की आवश्यकता होगी। यदि केन्द्र शासन के एस.ई.जेड. एक्ट 2005 में किये गये प्रावधान प्रदेश में प्रस्तावित एस.ई.जेड. हेतु पर्याप्त नहीं है तब ही इन्दौर एस. ई.जेड. एक्ट 2003 के सम्पूर्ण प्रदेश में विस्तार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।	एम.पी. एस.आई. डी.सी	

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
11.	एम.पी. एस.आई. डी.सी.	मल्टी प्रोडक्ट एस.ई.जेड. (ग्वालियर) की स्थापना के सम्बंध में भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति में निहित शर्तों की स्वीकृति हेतु सहमति बाबत्।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बंध में आवश्यक सहमति भारत शासन को प्रेषित की जावे। निर्णय लिया गया कि ग्वालियर एस.ई.जेड. को विकसित करने हेतु निजी निवेशकों को बिडिंग हेतु आमंत्रित किया जावे। प्रस्तावित एस.ई.जेड. हेतु आरक्षित लगभग 700 हेक्टेयर भूमि परियोजनांतर्गत राज्य शासन की अंशपूंजी होगी।	एम.पी. एस.आई. डी.सी.	
12.	एम.पी. एस.आई. डी.सी.	औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के द्वारा विकसित किये जा रहे फूड पार्क के सम्बंध में।	निर्णय लिया गया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के गठन (सितम्बर 2005) के पूर्व स्थापित अथवा प्रक्रियाधीन फूड पार्क का कार्य यथावत सम्बंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा संचालित किया जावे। भविष्य में स्थापित होने वाले फूड पार्क का संचालन खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किया जावेगा।	एम.पी. एस.आई. डी.सी. /उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	
13.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	भोपाल में सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क के निर्माण के लिये ग्राम बडवई कीशासकीय भूमि रकबा 219.63 का अग्रिम अधिपत्य दिलाये जाने बाबत्।	निर्णय लिया गया कि वांछित भूमि लगभग 219.63 एकड़ को इसी सप्ताह में राजस्व विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आवंटित करने सम्बंधी आदेश जारी किया जावे। भूमि के आवंटन उपरांत अधिपत्य के परिप्रेक्ष्य में डिमार्केशन की कार्यवाही को तत्काल प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, ताकि आवंटन उपरांत अधिपत्य प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।	राजस्व विभाग	
बैठक क्र. 7, दिनांक 02.12.2006					

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
14.	विमानन विभाग	मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिये संचालक विमानन द्वारा हवाई यातायात को प्रोत्साहन देने हेतु कंसेप्ट पेपर।	निर्णय लिया गया कि प्रदेश में हवाई यातायात को प्रोत्साहन देने हेतु निजी कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जावे। उपरोक्त क्षेत्र में रूचि प्रदर्शित करने वाली कम्पनियों को राज्य शासन द्वारा फेसिलिटेट किया जा सकेगा।	एम.पी. एस.आई. डी.सी. एवं विमानन विभाग	
बैठक क्र. 8, दिनांक 27.01.2007					
15.	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	ग्राम चंदनपुरा (कलियासोत वेस्ट वॉटर बैरेज) के समीप रिसॉर्ट/स्पा का पी.पी.पी. मॉडल अंतर्गत विकसित करने सम्बंधी मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को ग्राम चंदनपुर, जिला भोपाल में वांछित 23.95 एकड़ शासकीय भूमि हेल्थ रिसॉर्ट एवं स्पा की स्थापना हेतु उपलब्ध कराने के लिये सहमती प्रदान की गई। पर्यटन विकास निगम निजी क्षेत्र से एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त कर पब्लिक प्राइवेट पार्टीशिपेशन मॉडल के अंतर्गत उक्त परियोजना को क्रियान्वित कर सकेगा। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम इस सम्बंध में राजस्व विभाग को भूमि आवंटन हेतु नियमानुसार आवेदन करें।	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	
बैठक क्र. 9, दिनांक 23.02.2007					

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
16.	ट्राइफेक	प्रदेश में निवेश प्रस्ताव को फेसिलिटेट करने हेतु 'लैंड बैंक' संधारित करने सम्बंधी प्रस्ताव।	प्रबंध संचालक, ट्राइफेक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में निवेश परियोजनाओं की भूमि आवश्यकता की पूर्ति हेतु 'लैण्ड बैंक' संधारित करने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 22.02.2007 को एम.ओ.यू. की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि राजस्व विभाग दिनांक 28.02.2007 तक प्रदेश में निवेश परियोजनाओं हेतु उपयुक्त, उपलब्ध शासकीय भूमि का विवरण ट्राइफेक को 'लैंड बैंक' संधारित करने हेतु उपलब्ध करावें। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बंध में उपयुक्त भूमि के चयन हेतु बोर्ड की पृथक बैठक आयोजित की जावे, जिसमें औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबंध संचालक एवं सम्बंधित जिले के कलेक्टर को भी आमंत्रित किया जावे।	राजस्व विभाग/ट्राइफेक	
बैठक क्र. 10, दिनांक 04.04.2007					

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
17.	एम.पी.एस.आई. डी.सी.	विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति के संबंध में।	प्रदेश में प्राप्त हो रहे विभिन्न एस.ई.जेड. स्थापना के प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों में प्रचलित प्रक्रिया का अध्ययन कर उसके अनुरूप एस.ई.जेड. हेतु भूमि अधिग्रहण की नीति लाने पर चर्चा हुई। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में उपलबध पड़त भूमि में से एस.ई.जेड. परियोजना हेतु उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर Expression of Interest आमंत्रित किये जावे, साथ ही एस.ई. जेड. के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु सुस्पष्ट नीति तैयार की जावे।	एम.पी. एस.आई. डी.सी.	
18.	ट्राइफेक	शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समितियों में लिये गये निर्णयों की समीक्षा।			
		4.1 उद्योग नीति की कण्डिका 5.3.6 एवं 5.3.6.3 के परिप्रेक्ष्य में मण्डी शुल्क से मुक्ति संबंधी अधिसूचना शीघ्र जारी की जावे –	4.1 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि फूड पार्क में स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रदेश के बाहर से आने वाले कच्चेमाल (कृषि उपज) पर मण्डी शुल्क की छूट प्रदान करने हेतु कृषि विभाग से चर्चा कर निराकृत कराया जावे।	वाणिज्य, उद्योगऔर रोजगार विभाग	
		4.2 नीति की कण्डिका 4.1.11.2 के परिप्रेक्ष्य में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आवश्यक आदेश उसी दिन जारी किये जावेंगे	4.2 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरांत निर्देश दिये गये कि भारत शासन, पर्यावरण विभाग के परिपत्र दिनांक 13.10.1992 को आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उद्योग विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पृष्ठांकित (Endorse) किया जावे।	आवास एवं पर्यावरण विभाग	

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
19	ट्राइफेक	ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन को प्रोत्साहन चलित (Incentive Driven)	ट्राइफेक को Incentive Driven बनाने संबंधी प्रस्ताव का वित्त विभाग से परीक्षण उपरांत अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	वित्त विभाग / एम.पी. ट्राइफेक	
बैठक क्र. 11, दिनांक 07.05.2007					
20.	ट्राइफेक	औद्योगिक / अनुषांगिक योजना हेतु ''लैण्ड बैंक'' अंतर्गत चिन्हित शासकीय भूमि का आरक्षण एवं नोडल एजेंसी को हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव	भोपाल जिले के अंतर्गत उपलब्ध शासकीय भूमि के आरक्षण, आवंटन एवं मांग प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव में से ग्राम भौरी की 320 एकड़ भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि प्रस्ताव अनुसार लैण्ड पूल के अंतर्गत आरक्षित की जावे। ग्राम भौरी की 320 एकड़ भूमि को भारत शासन के स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, स्वास्थ्य विभाग की मेगा हेल्थ सिटी एवं इंडियन	राजस्व विभाग	
21.	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	ग्राम चंदनपुरा (कलियासोत वेस्ट वॉटर बैरेज) के समीप रिसॉर्ट / स्पा का पी.पी.पी. मॉडल अंतर्गत विकसित करने सम्बंधी प्रस्ताव	चंदनपुरा में विकसित किये जाने वाले रिसॉर्ट हेतु प्राप्त एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट पर आगामी कार्यवाही हेतु मेसर्स आई.डी.एफ.सी. को सलाहकार नियुक्त करने पर सहमति प्रदान की गई। परियोजना को पी.पी.पी. मॉडल के तहत विकसित करना हो तो पर्यटन निगम प्रस्ताव को आगामी कार्यवाही हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रस्तावों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्ताव प्रोजेक्ट क्लियरेन्स एण्ड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
22.	जल संसाधन विभाग	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग का विकासकों को सूचिबद्ध करने हेतु प्रस्ताव	संक्षेपिका में प्रस्तुत पूर्व अर्हता प्रपत्र (RFQ) में टेबल – 1 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जावे कि विकासकों को सूचिबद्ध करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत प्रति मेगावाट टर्न ओव्हर को मापदण्ड हेतु निर्धारक बिन्दु रखा गया है। बोर्ड द्वारा जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।	जल संसाधन विभाग	
			संक्षेपिका अंतर्गत प्रस्तुत मेसर्स एसेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लि., पुणे द्वारा बारना लघु जल विद्युत परियोजना को पुरानी नीति से नई नीति में सम्मिलित करने संबंधी जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।		
23.	जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी पार्क एवं जैव विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम अहमदपुरकलां एवं बाग सेवनिया की भूमि का आरक्षण	मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल को भोपाल में बायोटेक पार्क एवं इनक्यूबेशन सेंटर, इंस्टि्टयूट ऑफ लाइफ साइंसेस की स्थापना के लिये प्रस्ताव अनुसार ग्राम अहमदपुर कलां एवं बाग सेवनिया की कुल 85.55 एकड़ भूमि जैव प्रौद्योगिकी विभाग को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।	राजस्व विभाग	
बैठक क्र. 12, दिनांक 16.07.2007					

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
24.	जल संसाधन विभाग	लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु प्रोत्साहन नीति, 2006 के अंतर्गत विकासकों को परियोजना के निर्माण हेतु भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराने के लिए एजेण्डा प्रस्ताव	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा विकासकों को भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराने के संबंध में पट्टाभिलेख का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। अवगत कराया गया कि उक्त प्रारूप का परिमार्जन विधि विभाग से कराया जा चुका है। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया गया।	जल संसाधन विभाग	
25.	जल संसाधन विभाग	लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका अ 2.4.0 (iii) एवं 2.5.0 (ii) में उल्लेखित शुल्क का निर्धारण	लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिये प्रोत्साहन नीति 2006 की कंडिका अ 2.4.0 (iii) एवं 2.5.0 (ii) के परिप्रेक्ष्य में चयनित विकासक हेतु शुल्क निर्धारित करने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया	जल संसाधन विभाग	
26.	ट्राइफेक	भोपाल के समीप ग्राम मनीखेड़ी,अचारपुरा एवं इस्लामनगर की लगभग 635 एकड़ शासकीय भूमि पर एजूकेशन जोन स्थापना के संबंध में	निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2007 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ग्राम मनीखेड़ी, अचारपुरा एवं इस्लामनगर की 635एकड़शासकीय भूमि को स्पेशल एजूकेशन जोन हेतु आरक्षित करने की कार्यवाही की जावे।	राजस्वविभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग	

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
			बैठक क्र. 13, दिनांक 12.09.2007		
27.	पर्यटन विभाग	भोपाल स्थित न्यू पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस एवं उससे लगी भूमि पर जन–निजी भागीदारी के अन्तर्गत होटल निर्माण का प्रस्ताव	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत पावर पाइन्ट प्रेजेन्टेशन एवं प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।	पर्यटन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग	
28.	एकेवीएन, भोपाल	भोपाल जिले में फिल्म सिटी की स्थापना	भोपाल जिले में फिल्म सिटी की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। परियोजना के संबंध में ग्राम बगरौदा, जिला भोपाल की चिन्हित 430 एकड़ शासकीय भूमि फिल्म सिटी हेतु आरक्षित करने संबंधी निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे।	वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, एकेवीएन, भोपाल एवं राजस्व विभाग	
			बैठक क्र. 14, दिनांक 16.10.2007		

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
29.	मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन	गैर वन पड़त भूमि आवंटन का प्रस्ताव	बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये – (1) किसी भी कम्पनी को, एक ही जिले में भूमि आवंटित की जावे, जिसकी अधिकतम सीमा 5000 हेक्टेयर होगी। प्रथम चरण में अधिकतम 2000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जावे एवं आवंटन के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में कम्पनी द्वारा उक्त आवंटित भूमि में किये गये कार्यों का आंकलन किया जावे एवं परिणाम संतोषजनक पाये जाने पर, अतिरिक्त भूमि आवंटित की जावे। प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में आवंटित भूमि का कुल योग अधिकतम 5000 हेक्टेयर होगा।	राजस्व विभाग एव खाद्य प्रसंस्करण विभाग	
			(2)कम्पनियों को कहा जावे कि वे अपनी इच्छानुसार किसी एक जिले में, पड़त भूमि के आवंटन हेतु पुनरीक्षित आवेदन प्रस्तुत करें।		
			(3)यदि किसी कम्पनी के द्वारा 5000 हेक्टेयर भूमि का पूर्ण उपयोग संतोषजनक रूप से कर लिया जाता है तब और अधिक भूमि के आवंटन हेतु अभ्यावेदन देने पर बोर्ड द्वारा, तत्संबंध में तत्सयमय सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा।		

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
			(4) मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ–4 –7/96/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 04.10.2006 से गैर वन पड़त भूमि के विकास एवं उपयोग के संबंध में राज्य की नीति प्रसारित की गई है तथापि तत्संबंध में गैर वन पड़त भूमि आवंटन संबंधी नियम बनाये जाना अपेक्षित है। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि एक माह की अवधि में तत्संबंधी नियम बनाये जावें।		
बैठक क्र. 15, दिनांक 14.12.2007					
बैठक क्र. 16, दिनांक 28.01.2008					
30.	महिला एवं बाल विकास विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगन बाड़ी भवनों के निर्माण से संबंधित संक्षेपिका	बोर्ड के समक्ष 37066 भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में अधिक से अधिक स्थानों पर भवन निर्माण किये जाने हेतु निवेशकों एवं उद्योगपतियों से सहयोग लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई	महिला एवं बाल विकास विभाग तथा एमपी ट्राईफेक	
बैठक क्र. 17, दिनांक 19.03.2008					

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
31.	ट्राइफेक	Regarding World Bank's Report "Doing Business - 2008"	वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट "Doing Business - 2008" की अनुशंसाएं 'प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्पलीमेंटेशन बोर्ड' के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई। अनुशंसाओं पर चर्चा पश्चात् बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन के समस्त विभाग अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करें एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी प्रकार की अपेक्षित कार्यवाही संबंधित नीति / नियमों में उल्लेखित समयावधि में पूर्ण की जावें।	सामान्य प्रशासन विभाग	
32.	<u>अन्य निर्णय</u>		बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन कम्पनियों के साथ एमपी ट्राईफेक द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं, उन कम्पनियों के 'माइनिंग लीज़' के आवेदनों का खनिज संसाधन विभाग द्वारा त्वरित रूप से एक माह में निराकरण किया जावे।	खनिज संसाधन विभाग	
बैठक क्र. 18, दिनांक 03.05.2008					
बैठक क्र. 19, दिनांक 11.06.2008					

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
33.	पर्यटन विभाग	लैंड बैंक के अन्तर्गत पन्ना जिले के ग्राम सकरिया स्थित भूमि के पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए निवर्तन हेतु प्रस्ताव	बोर्ड द्वारा ग्राम सकरिया, जिला पन्ना की भूमि उच्चतम निविदाकर्ता मेसर्स सन्जोस रियल्टर एण्ड बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली की निविदा स्वीकृति की अनुशंसा की गई। निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर मंत्रि–परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जावे।	पर्यटन विभाग	
34.	पर्यटन विभाग	लैंड बैंक के अन्तर्गत भोपाल जिले की तहसील हुजूर, ग्राम चन्दनपुरा स्थित भूमि के पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए निवर्तन हेतु प्रस्ताव	बोर्ड द्वारा ग्राम चन्दनपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की भूमि के लिए निविदाकर्ता मेसर्स वालेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड, मुम्बई की निविदा स्वीकृति की अनुशंसा की गई। निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर मंत्रि–परिषद का आदेश प्राप्त किया जावे।	पर्यटन विभाग	
बैठक क्र. 20, दिनांक 26.06.2008					
35.	ट्राइफेक	डेव्हलपमेन्ट ऑफ ईस्ट–वेस्ट कॉरीडोर	प्रस्तावित भोपाल–इन्दौर कॉरीडोर का विकास 'डीएमआईसी' इन्वेस्टमेनट नोड्स की कनेक्टीविटी विस्तारित करता है, अतएव् 'डीएमआईसी' कंसलटेन्ट के माध्यम से उल्लेखित कॉरीडोर की 'फिसीबिलिटी' के संबंध में मत/रिपोर्ट प्राप्त करने के बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये।	ट्राइफेक	

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
36.	एमपी स्टेट एग्रो इंड.डेव्हल.कार्पो. लि	गैर वन पड़त भूमि आबंटन संबंधी प्रस्ताव	बोर्ड द्वारा समग्र रूप से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया – सभी कम्पनियों के पूर्व कार्य, उनकी सम्पतियॉं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विगत 3 वर्षों की बैलेंस शीट की जानकारी प्राप्त की जावे एवं तत्पश्चात् सभी कम्पनियॉं के 'जेटरोफा' संबंधी कार्य करने के लिए क्षमता का आंकलन किया जावे। कम्पनियों से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण तथा उनकी वित्तीय क्षमता का आंकलन किया जावे। इस हेतु प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर, सचिव, वित्त तथा सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रकरणों का परीक्षण कर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।	वाणिज्यिक कर/वित्त/खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं एमपी स्टेट एग्रो इंड. डेव्हल.कार्पो	
			आवश्यक क्षमता रखने वाली कम्पनियों से बोर्ड के समक्ष विभिन्न चरणों में 'पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन' कराया जावे।	एमपी स्टेट एग्रो इंड. डेव्हल.कार्पो	
			गैर वन पड़त भूमि आबंटन के लिए प्रसारित नीति के परिप्रेक्ष्य में नियम बनाये जाना अपेक्षित हैं। बैठक में नियमों की आवश्यकता प्रतिपादित की गई।	राजस्व/खाद्य प्रसंस्करण एवं एमपी स्टेट एग्रो इंड. डेव्हल. कार्पो. लि.	
बैठक क्र. 21, दिनांक 23.08.2008					
बैठक क्र. 22, दिनांक 22.09.2008					

क्र.	विभाग जिसके द्वारा संक्षेपिका प्रस्तुत की गई।	विषय	बोर्ड का निर्णय	विभाग जिनसे कार्यवाही अपेक्षित है	रिमार्क
37.	ट्राइफेक	ग्वालियर जिले के गोला का मन्दिर क्षेत्र में 'मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल' के लिए भूमि आंबटन का प्रस्ताव	'बोर्ड' द्वारा प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया था कि प्रमुख सचिव, राजस्व, सचिव, वित्त तथा प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की समिति विषयांकित प्रस्तावों का परीक्षण करेगी, जो प्रश्नाधीन भूमि के उपयोग एवं आबंटन प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त प्रस्ताव 'बोर्ड' के समक्ष प्रस्तुत करेगी।	राजस्व विभाग के समन्वय में/वित्त विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	
38.	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	मध्यप्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा विषय के संबंध में तैयार की गई संक्षेपिका 'बोर्ड' के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई। प्रस्ताव अनुसार निर्णय लिया गया कि भोपाल में 'फिल्म सिटी' के निर्माण के लिए संस्थाओं / निवेशकों से सम्पर्क कर उन्हें आमंत्रित करने एवं भूमि आबंटन हेतु अनुशंसा करने के लिए संस्कृति विभाग को 'नोडल विभाग' बनाया जावे। 'फिल्म सिटी' परियोजना को संस्कृति विभाग, संस्थागत वित्त एवं मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल की सहभागिता से 'पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप' मॉडल पर विकसित करे। परियोजना स्थल पर अधोसंरचना का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल के द्वारा किया जावे।	संस्कृति विभाग / म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल	
39.	ट्राइफेक	'प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्पलीमेंटेशन बोर्ड' द्वारा निराकृत निवेश प्रस्तावों में से राजस्व विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग में विचाराधीन प्रकरणों की	'बोर्ड' द्वारा शीघ्र कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए गये।	राजस्व विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग	